

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को विश्वास करने का कारण है कि डा0 सूर्यनारायण महतो, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा, प0 चम्पारण अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार, अवज्ञा एवं सरकार के आदेश के उल्लंघन के दोषी हैं। अतः सरकार ने निर्णय लिया है कि:-

उक्त डा0 महतो के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय।

डा0 महतो चिकित्सा पदाधिकारी को इस संकल्प के अग्रसारण के एक पक्ष के अन्दर अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में एक लिखित वक्तव्य संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए डा0 चन्द्रशेखर नारायण, क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर संचालन पदाधिकारी तथा, RDD तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा मनोनित चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी होंगे।

डा0 सूर्यनारायण महतो को संचालन पदाधिकारी से निवेदन करना होगा कि वे स्वयं सुनवाई के लिए उपस्थित होने और अपनी ओर से साक्ष्यों की परीक्षा कराने के लिए इच्छुक हैं।

आरोप पत्र (अनुबंध) एवं साक्ष्य इसके साथ ही निर्गत किया जा रहा है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति के साथ इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक :

/ स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति के साथ संचालन पदाधिकारी, डा0 चन्द्रशेखर नारायण, क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक :

/ स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति, RDD तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा मनोनित चिकित्सा पदाधिकारी को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक :

476 (9)

/ स्वा0, पटना, दिनांक :

10/6/2015

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति डा0 सूर्यनारायण महतो, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगहा, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,5,7,8,9,10 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।